03-03-2023

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गयी।

त्वरित मुद्दा?

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विचार की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 के दौरान की गई थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक उद्यमों के लिए पैसे जुटाने का एक माध्यम है।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में एक नया विचार है, इसके माध्यम से सामाजिक उद्यमों में निवेश किया जा सकेगा।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज को पहले से स्थापित स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ही संचालित किया जाएगा, जिससे यह मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज की अवसंरचना के साथ-साथ इनके ग्राहक सम्बंध, निवेशक, परोपकारी दानदाताओं तथा लाभकारी व गैर-लाभकारी संस्थाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
- SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करेगा।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, जमैका और केन्या आदि देशों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
- इससे गैर-लाभकारी संस्थाएँ तथा सामाजिक कल्याण संस्थाएँ एक पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर सामाजिक पूँजी का लाभ प्राप्त

अन्य प्रमुख तथ्य?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।
- सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टाक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना, और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है।
- स्टॉक ब्रोकर्स, शेयर ट्रान्सफर एजेंट्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, गोल्ड एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यो का नियमन करना एवं उन्हें पंजीकृत करना।
- म्यूचुअल फण्ड की सामूहिक निवेश योजनाओ को पंजीकृत करना तथा उनका नियमन करना।
- प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों (Unfair Trade Practices) को समाप्त करना।

कर सकेंगी।

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यरत होने से गैर लाभकारी क्षेत्र को एक अनुकूल वातावरण के साथ-साथ अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।
- इससे कोरोना वायरस महामारी के दौरान कमजोर हुयी सामाजिक संरचना को मजबूत करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- भारत में सामाजिक पूंजी के निर्मित होने से लोग आत्मनिर्भर होंगे, जिससे सरकार पर रोजगार तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिये दबाव कम होगा।
- सेबी (SEBI) द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social stock exchange- SSE) पर इशात हुसैन (एस.बी.आई. फाउंडेशन के संचालक तथा टाटा संस के पूर्व वित्त संचालक) की अध्यक्षता में सितम्बर 2019 में एक कार्य समूह (Working group) का गठन किया गया था।
- सामाजिक संस्थाओं और गैर लाभकारी संगठनों (एन.पी.ओ.) को बॉन्ड जारी करके कोष जुटाने हेतु सीधे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान की जाए।
- वित्तपोषण तंत्र में वैकल्पिक निवेश फण्ड (Alternative Investment Fund/AIF) के अंतर्गत सोशल वेंचर फण्ड (Social Venture Fund/SVF) को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत संस्थाओं के लिये न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक (Minimum Reporting Standard) सुनिश्चित किये जायें।
- लाभकारी सामाजिक संस्थाओं को भी कुछ रिपोर्टिंग प्रावधानों के साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना चाहिये, जिससे उन्हें कर में छूट के लिये प्रोत्सहित किया जा सके।

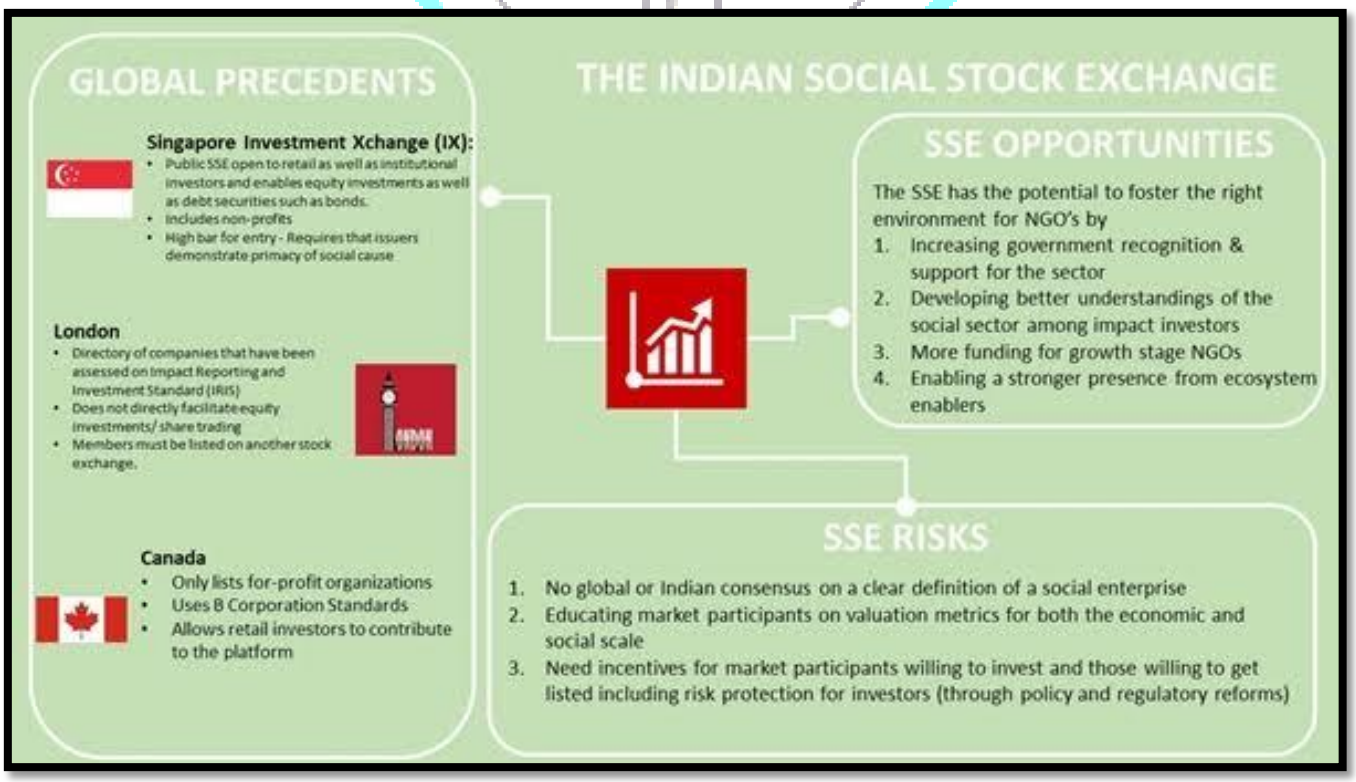

दल-बदल विरोधी कानून

समाचार पत्रों में क्यों?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल-बदल विरोधी कानून तब भी लागू होता है, जब कोई गुट किसी पार्टी से अलग हो जाता है।

त्वरित मुद्दा?

- दल -बदल विरोधी कानून तब भी लागू होता है जब कोई गुट किसी राजनीतिक दल से अलग हो जाता है और पार्टी के भीतर बहुमत हासिल करने का प्रबंधन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक विवाद की सुनवाई में कहा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- वर्ष 1985 में 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी सूची में दल-बदल कानून को भी अन्त:स्थापित किया गया।
- यह कानून, संसद तथा राज्य विधानमंडल, दोनों निकायों पर लागू होता है।
- इस कानून के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि दल बदल के सम्बंध में किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस बारे में उसका निर्णय अंतिम होगा।

- वर्ष 1985 में पारित किये गए इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी दल के एक तिहाई या उससे अधिक सदस्य अपना दल छोड़कर एक साथ दूसरे दल में जाते हैं तो वे अयोग्य नहीं माने जाएंगे।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा एक तिहाई की पूर्व संख्या को दो तिहाई कर दिया गया अर्थात यदि कसी दल के दो तिहाई से ज़्यादा सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- **इस कानून के तहत निम्न परिस्थितियों में किसी सदस्य की योग्यता समाप्त हो सकती है -**
  - यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है।
  - यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के दिशा-निर्देशों के विपरीत वोटिंग करता है और उसके दल के द्वारा 15 दिनों के भीतर उसे माफ़ी नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे अयोग्य माना जाएगा।
  - अगर चुनाव के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

- यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी।

- दल-बदल कानून के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी ज़िक्र किया गया है, जिनके तहत दल बदलने के बावजूद भी सदस्यों की सदस्यता पर कोई संकट नहीं आता –
- यदि किसी दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य एक साथ दल बदलने का निर्णय ले लें।
- यदि पीठासीन अधिकारी (राज्यसभा के मामले में उपसभापति, सभापति नहीं) पार्टी द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद 'वोटिंग के मामले में' निर्दलीय व्यवहार करें तो भी उसकी सदस्यता पर कोई असर नहीं होगा।

अन्य प्रमुख तथ्य?

दल-बदल से संबंधित मामले

- वर्ष 1987 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य विधायकों ने दल-बदल कानून की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 52वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, लेकिन इस अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
- धारा 7 में प्रावधान था कि सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- इसके अलावा यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी।
- दल-बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता संबंधी सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिये गए हैं।
- वर्ष 1985 में पारित मूल कानून में अध्यक्ष के द्वारा लिये गए किस भी निर्णय को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था और न्यायलय के पास किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था।

- लेकिन वर्ष 1992 के कोहितो होलोहान बनाम जचिल्हू मामले में उच्चतम न्यायलय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों की योग्यता के सम्बंध में किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
- हालाँकि न्यायालय ने यह भी कहा था कि जब तक पीठासीन अधिकारी इस पर निर्णय नहीं दे देता तब तक न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

न्यूज़ फटाफट

मरीना (MARINA)

- मरीना समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए स्थान या बंदरगाह होते हैं।
- वाणिज्यिक बंदरगाहों के विपरीत इनका उपयोग पर्यटन के दौरान आरामदायक सुविधाएँ प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने उडुपी ज़िले के बंडूर में देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है।

शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल की शुरुआत की, यह सरकार द्वारा गठित तीन समितियों की मदद से उन लोगों की समस्या का निवारण किये जाने की सुविधा प्रदान करता है, जो इंटरनेट सामग्री को हटाए जाने के अनुरोधों पर सोशल मीडिया कंपनियों को किये गए शिकायत से असंतुष्ट हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नीतिगत संहिता) के नियम, 2021 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था, ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को संविधान के तहत अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 द्वारा नागरिकों को दिये गए सभी अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य किया जाए।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म को अब उन अभिव्यक्तियों की अनुमति देने के लिये बाध्य किया जा सकता है जो निजी तौर पर अवैध हो सकते है परंतु सार्वजनिक रूप से वैध हैं।
- जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने तीन GACs (Grievance Appellate Committee) के गठन को अधिसूचित किया जो सोशल मीडिया तथा अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफार्मों के खिलाफ उपयोगकर्त्ता की शिकायतों का समाधान करेगी।
- इसके अतिरिक्त इन पैनलों के पास सामग्री मॉडरेशन के संबंध में इन प्लेटफार्मों द्वारा किये गए निर्णयों की निगरानी करने और उन निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होगा।

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण

- समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (News Broadcasting and Digital Standards Authority-NBDSA) ने कुछ समाचार चैनलों को आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा विशिष्ट दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर प्रसारित कुछ कार्यक्रमों के वीडियो को अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है।
- NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, जो निजी टेलीविज़न समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह खुद को भारत में समाचार, करंट अफेयर्स एवं डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की सामूहिक आवाज़ के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्तपोषित है।

- इसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के अनुचित और/या अनैतिक व्यवहार को रोकना या टेलीविज़न समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को बदनाम होने से बचाना है।

एडिनोवायरस

- पश्चिम बंगाल में हाल ही में एडिनोवायरस संक्रमण के कारण सरकारी अस्पतालों में 12 मौतें हुई हैं। हालाँकि वर्तमान में वायरल महामारी के कोई साक्ष्य नहीं हैं। एडिनोवायरस 70-90 नैनोमीटर आकार का डबल-स्ट्रैंडेड लीनियर DNA वायरस है। इसके लक्षणों में ठंड लगना, बुखार, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त और नेत्रश्लेष्मलाशोथ (गुलाबी आँख) शामिल हैं।

विंडसर फ्रेमवर्क

- विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार एवं भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं के समाधान का नवीनतम प्रयास है।
- यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा जो ब्रेक्ज़िट के सबसे कठिन परिणामों में से एक है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के तहत ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड को भेजे जाने वाले सामानों के भारी भरकम व्यापार/सीमा शुल्क निरीक्षण के साथ उत्तरी आयरलैंड, यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार में बना रहा, जिससे व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई और खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम हो गई।
- इसके अलावा यूरोपीय संघ के नियमों ने UK सरकार की कुछ नीतियों को उत्तरी आयरलैंड में लागू करने से रोक दिया तथा एक आयरिश समुद्री सीमा की उपस्थिति के कारण वे लोग परेशान हुए जो एक संयुक्त UK की मांग करते हैं।
- विंडसर फ्रेमवर्क उत्तरी आयरलैंड में व्यापार वस्तुओं हेतु ग्रीन और रेड लेन के उपयोग (परिचय) के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति देकर व्यापार व्यवधानों को संबोधित करना चाहता है।
- ग्रीन लेन के सामानों के मामले में कम जाँच और नियंत्रण होंगे, जिसमें कोई सीमा शुल्क जाँच या उत्पत्ति के नियम शामिल नहीं होंगे। फ्रेमवर्क के तहत रेड लेन के सामान यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार को संरक्षित करने हेतु पूर्ण जाँच एवं नियंत्रण के अधीन होंगे।